भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 25
04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः ई-एनएएम प्लेटफॉर्म

***25. श्री दिलेश्वर कामैतः**
श्री नव चरण माझीः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) प्लेटफॉर्म से जुड़े कृषि बाजारों (मंडियों) की कुल संख्या तथा उनके द्वारा किए गए लेन-देन के मूल्य सहित उनके व्यापार के मूल्य का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार देश के छोटे और सीमांत किसानों, विशेष रूप से महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों, जैसे जलगांव जिले के किसानों को ई-एनएएम प्लेटफॉर्म में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर रही है तथा उक्त प्लेटफॉर्म पर ऐसे कितने किसान पंजीकृत हैं और सक्रिय रूप से व्यापार कर रहे हैं;
(ग) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान ई-एनएएम के माध्यम से अंतर-राज्यीय व्यापार की मात्रा के संबंध में कोई आकलन किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किसानों को उक्त प्लेटफॉर्म की सुलभता में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा विशेषकर जलगांव जिले सहित महाराष्ट्र एवं राज्यवार देश में सामान के परिवहन और उसके भंडारण जैसी संभार-तंत्र संबंधी चुनौतियां क्या हैं?
(घ) क्या सरकार का महाराष्ट्र सहित राज्यवार देश में बेहतर मूल्य निर्धारण के लिए और अधिक नए वस्त्र उत्पादों, मूल्य वर्धित सेवाओं तथा एआई-आधारित मूल्य निर्धारण तंत्र जैसी नई प्रौद्योगिकीय सुविधाओं के एकीकरण के संदर्भ में ई-एनएएम के दायरे का विस्तार करने का विचार है;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है; और
(च) प्रस्तावित विस्तारों का ब्यौरा क्या है और उनसे महाराष्ट्र में विशेषकर जलगांव जिले में रहने वाले किसानों के लिए बाजार की सुलभता बढ़ाने में किस प्रकार लाभ मिलेगा?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"ई-एनएएम प्लेटफॉर्म" के संबंध में दिनांक 04.02.2025 को लोक सभा में उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 25 के भाग (क) से (च) के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क): 31 दिसंबर, 2024 तक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) प्लेटफॉर्म से जुड़े कृषि बाजारों (मंडियों) का राज्यवार विवरण, साथ ही व्यापार और लेन-देन के मूल्य का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(ख): छोटे और सीमांत किसानों सहित किसानों का नामांकन बढ़ाने और ई-नाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से कृषि वस्तुओं के व्यापार में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इनमें ई-नाम पोर्टल और मोबाइल ऐप (एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध) के माध्यम से किसानों द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा, प्रशिक्षण कार्यक्रम और पंजीकरण एवं व्यापार प्रक्रिया में किसानों की सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर 18002700224 शामिल हैं।

31 दिसंबर, 2024 तक 12.3 लाख किसान पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें से 3 लाख किसान महाराष्ट्र में ई-नाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापार कर रहे हैं। जलगांव जिले में, 37,903 किसानों को ई-नाम के तहत पंजीकृत किया गया है, जिनमें से 1170 किसानों ने ई-नाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापार किया है, अब तक पोर्टल पर कुल 42404 लेनदेन हुए हैं।

(ग): पिछले 03 वर्षों के दौरान ई-नाम में दर्ज अंतर-राज्यीय व्यापार की मात्रा निम्नानुसार है:-

वर्ष	व्यापार की मात्रा (क्विंटल में)
2022-23	7990.23
2023-24	179923.09
2024-25 (दिनांक 31 दिसंबर, 2024 तक की स्थिति के अनुसार)	35956.09

ई-नाम प्लेटफॉर्म को लगातार बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं -

(i) फार्मगेट मॉड्यूल किसानों को चित्र/गुणवत्ता मापदंडों के साथ अपनी उपज का लॉट-वार विवरण अपलोड करने और ई-नाम पर व्यापार के लिए बोली लगाने की सुविधा का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है, इसके लिए उन्हें अपनी उपज को मंडियों में भौतिक रूप से लाने की आवश्यकता नहीं होती है।

(ii) ई-नाम मोबाइल ऐप 12 भाषाओं में उपलब्ध है जो इसे अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाता है।

(iii) एफ.पी.ओ. ट्रेडिंग मॉड्यूल शुरू किया गया है जिसके तहत एफ.पी.ओ. उपज को ए.पी.एम.सी. में लाए बिना अपने संग्रह केंद्र/परिसर से अपने उत्पाद का व्यापार कर सकते हैं।

(iv) ई-एन.डब्ल्यू.आर. पर आधारित गोदामों से व्यापार की सुविधा के लिए ई-नाम में वेयरहाउस आधारित व्यापार मॉड्यूल प्रदान किया गया है।

(v) एगमार्क नेट प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण: किसान ई-नाम मोबाइल ऐप पर ई-नाम मंडी के साथ-साथ गैर-ई-नाम मंडी की मौजूदा वस्तुओं की कीमतों और आगमन की जानकारी मंडी में जाने से पहले ही प्राप्त कर सकते हैं।

(घ) से (च): राज्य सरकार के विभागों/राज्य कृषि विपणन बोर्डों से प्राप्त अनुरोध के आधार पर, संबंधित वस्तुओं के लिए व्यापार योग्य मापदंडों को अंतिम रूप दिया जाता है। 31 दिसंबर 2024 तक, ई-नाम प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन नीलामी के लिए 221 वस्तुओं के लिए व्यापार योग्य मापदंड बनाए गए थे, जिनमें रेशम कोकून, कपास और कच्चा जूट भी शामिल हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है।

मौजूदा ई-नाम प्लेटफॉर्म को और अधिक कुशल बनाने के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। ई-नाम 2.0 के चल रहे विकास के साथ, यह प्लेटफॉर्म न केवल अपने मौजूदा डिजिटल व्यापार संचालन को मजबूत करेगा, बल्कि विभिन्न मूल्य श्रृंखला प्रतिभागियों को शामिल करने की सुविधा भी प्रदान करेगा, जिससे उन्हें अपने संचालन को सहजता से एकीकृत करने और मूल्य श्रृंखला में वस्तुओं, सेवाओं और सूचनाओं के प्रवाह की योजना बनाने, कार्यान्वयन और प्रबंधन में सहयोग करने की अनुमति मिलेगी। ई-नाम 2.0 को एक ओपन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में देखा जाता है जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिंकेज को सक्षम बनाता है।

31 दिसंबर, 2024 तक महाराष्ट्र के जलगांव जिले की 04 मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है और उक्त योजना के तहत लाभ उठाया जा रहा है।

अनुबंध-I

ई-नाम प्लेटफॉर्म पर राज्यवार मंडियों को जोड़ा गया, साथ ही व्यापार और मूल्य का विवरण भी दिया गया (आरंभ से लेकर 31 दिसंबर, 2024 तक)

राज्य	एकीकृत मंडियों की संख्या	व्यापार		व्यापार का मूल्य (रुपये करोड़ में)
		व्यापार की मात्रा (लाख मीट्रिक टन में)	यूनिट काउन्ट में व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की संख्या	
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	0	0	0
आंध्र प्रदेश	33	83.035	0	54,958.21
असम	3	16.90 (टन)	0	0.035
बिहार	20	0.033	1,58,700	14.444
चंडीगढ़	1	7.351	0	1,496.55
छत्तीसगढ़	20	11.876	0	2,465.61
गोवा	7	0.003	3,80,458	2.082
गुजरात	144	26.498	0	10,536
हरियाणा	108	330.938	0	1,07,045
हिमाचल प्रदेश	38	4.397	0	1,668.29
जम्मू और कश्मीर	17	1.64	26,850	1,030.68
झारखंड	19	0.321	5,269	62.312
कर्नाटक	5	2.126	0	1,565.93
केरल	6	0.007	0	2.383
मध्य प्रदेश	139	96.121	0	32,132.68
महाराष्ट्र	133	50.677	0	18,893.51
नागालैंड	19	0.01	0	4.621
ओडिशा	66	18.835	39,35,32,840	4,864.02
पुदुचेरी	2	0.506	0	187.081
पंजाब	79	40.764	0	13,341.30
राजस्थान	166	250.849	93,74,024	1,03,437.400
तमिलनाडु	157	25.895	2,53,85,503	6,764.36
तेलंगाना	57	71.007	0	25,772.89
त्रिपुरा	7	8.83(टन)	0	0.059
उत्तर प्रदेश	125	71.068	0	13,624.23
उत्तराखंड	20	7.43	0	1,175.26
पश्चिम बंगाल	18	0.858	97,100	175.604
कुल	1,410	1,102.25	42,89,60,744	4,01,220

****